प्रकाशन हेतु अनुदेशित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दुगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधिपति, एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक- 445 वर्ष 2002

चमरू राम

बनाम

छतीसगढ़ राज्य

निर्णय

विचार हेतु

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय मुख्य न्यायधिपति श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ ।

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनांक : 30/06/2009 को सूचिबध्द करे ।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दुगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधिपति, एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक- 445 वर्ष 2002

अपीलार्थी: चमरू राम, पिता- तुलसी राम बारगाह, उम्र लगभग 36 वर्ष, मजदूर, निवासी ग्रामः ललाती, पुलिस थाना लखनपुर, जिलाः सरगुजा (अंबिकापुर) (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, पुलिस थाना लखनपुर, जिलाः सरगुजा (अंबिकापुर) (छ.ग.)

(अपील धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत)

उपस्थितिः

श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री अखिल अग्रवाल, राज्य की ओर से, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(30.06.2009)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति,** द्वारा उद्घोषित किया गया

(1) अपीलार्थी चमरू राम को सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक- 103/2001 में भारतीय दण्ड संहिता के धारा 302 के तहत दिनांक- 08 अप्रैल 2002 को दोषसिध्द करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) संक्षेप तथ्य में इस प्रकार हैं:

मृतिका सुमित्रा बाई अपीलार्थी की पत्नी थी। दिनांक- 07.2.2001 को अपीलार्थी गांव के कोटवार ज्ञानदास (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 4) के पास गया और कहा कि उसके घर में चोर घुस आया है। ज्ञानदास गांव के पंच जगदीश सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 1) के पास गया। ज्ञान दास (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 4), गांव पटेल रामेश्वर प्रसाद (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 5), आलम साई (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 12), जय सिंह, विफल दास (अभियोजन साक्षी क्रमांक- 10) और कई अन्य ग्रामीण अपीलार्थी के घर लेकर गए। अपीलार्थी अपने घर के पास मौजूद था। उन्होंने उससे चोर के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि चोर घर के अंदर है। उस समय

घर के दरवाजे बंद थे। दरवाजे खोले गए, वे घर में दाखिल हुए और देखा कि घर में कोई चोर नहीं था। हालांकि, अपीलार्थी की पत्नी का मृत शरीर वहां था। मृत शरीर के आस-पास खून के निशान भी मौजूद थे। जब उन्होंने अपीलार्थी से पूछा तो उसने उनके सामने न्यायिकेतर स्वीकृति किया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है।

जगदीश सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) द्वारा संबंधित पुलिस थाने में मामले की सूचना दी गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-1) दर्ज की गई थी। अन्वेषणम् अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे, पंचों को मृत्यु समीक्षा के लिये सूचना (प्र. पी.-3) प्रदान की और मृतिका के शव की मर्ग जाँच (प्र. पी.-4) तैयार किया। मृतिका के शव को शव परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उदयपुर भेजा गया, जहाँ डॉ.ए.आर. जयंत (अभियोजन साक्षी क्रमांक-8) ने मृतिका के शव का शव परीक्षण किया, जिन्होंने मृतिका के शरीर पर निम्नलिखित चोटों के निशान पाये:

(i) माथे के बाईं ओर 2" **x** 1" का चोट का निशान;

(ii) बायीं पार्श्विका हड्डी में फ्रैक्चर था;

(iii) गर्दन, पीठ और नितंबों के बाईं ओर जलने के निशान; और

(iv) छाती के दाहिनी ओर 3" **x** 2" का चोट के निशान।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शव परीक्षण करने वाले सर्जन ने यह अभिमत दिया है कि मृत्यु का कारण खोपड़ी की हड्डी टूटने से होने वाला रक्तस्राव था और मृत्यु मानववध्द प्रकृति की थी। विवेचना के दौरान, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपीलार्थी का (प्र. पी.-5) अभिस्वीकृति कथन दर्ज किया गया और प्र. पी.-6 के अंतर्गत अपीलार्थी की निशानदेही पर एक डंडा, एक पेटीकोट और एक ब्लाउज ज़ब्त किया गया। प्र. पी.-7 के अंतर्गत घटनास्थल से खून से सनी मिट्‌टी, सादी मिट्‌टी और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े ज़ब्त किए गए। प्र. पी.-8 के अंतर्गत स्थल मौका नक्शा तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले का उर्पापण सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को कर दिया, जिन्होंने सुनवाई करते हुए अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उस पर उपरोक्त वर्णित अनुसार दण्ड अधिरोपित किया।

(3) स्वीकृत रूप से, इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मुख्यतः जगदीश (अभियोजन साक्षी क्रमांक -1), ज्ञानदास (अभियोजन साक्षी क्रमांक -4), रामेश्वर (अभियोजन साक्षी क्रमांक -5) और विफल

(अभियोजन साक्षी क्रमांक-10) सहित अन्य ग्रामीणों के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिए गए न्यायिकेतर स्वीकृति की परिस्थिति पर भरोसा किया है।

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी ने मृतिका की मृत्यु का मानववध्द से संबंधित किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, जगदीश (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1), ज्ञानदास (अभियोजन साक्षी क्रमांक-4) और विफल (अभियोजन साक्षी क्रमांक-10) के साक्ष्यों से यह बात सामने आती है कि वे अपीलार्थी के घर गए थे और उन्होंने मृतिका का शव घर के अंदर पड़ा देखा था और अपीलार्थी ने उनके समक्ष न्यायिकेतर स्वीकृति की थी कि उसने पत्नी की हत्या की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शव परीक्षण करने वाले सर्जन ने मृतिका के शरीर पर चार बाहरी चोटें पाईं और बताया कि मौत का कारण खोपड़ी की हड्डी टूटने के कारण होने वाला रक्तस्राव था और मृत्यु मानववध्द की प्रकृति की थी। अतः यह स्थापित हुआ था कि मृतिका की मृत्यु मानववध्द की प्रकृति की थी।

(5) श्री तिवारी ने तर्क दिया कि न्यायिकेतर स्वीकृति का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और किसी अन्य साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं करते है, इसलिए इन गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(6) इसके विपरित, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अखिल अग्रवाल ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(7) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(8) ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथनी (1985) 1 एससीसी 505*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न ही कोई विधि का ऐसा नियम है और न ही विवेक का कि न्यायिकेतर स्वीकृति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा उसकी पुष्टि न हो जाए। न्यायालयों ने न्यायिकेतर स्वीकृति के साक्ष्य को एक कमज़ोर साक्ष्य माना है। यदि न्यायिकेतर स्वीकृति के बारे में साक्ष्य ऐसे गवाह/गवाहों के मुँह से आता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, अभियुक्त के प्रति दूर-दूर तक शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके संबंध में ऐसा कुछ भी सामने नहीं लाया गया है जिससे यह संकेत मिले कि उनका अभियुक्त के प्रति असत्य कथन करने का कोई उद्देश्य हो तथा साक्षी द्वारा कहे गए शब्द स्पष्ट हो, असंदिग्ध और स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हों कि अभियुक्त ही अपराध का सूत्रधार है और साक्षी द्वारा ऐसा कुछ भी विलोपित नहीं किया गया है जो इसके विरुद्ध हो, तो साक्षी के साक्ष्य को विश्वसनीयता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के कठिन मापदंड पर परीक्षण करने के बाद, यदि वह उस परीक्षण में सफल रहता है, तो न्यायिकेतर स्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और वह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है और ऐसी स्थिति में पुष्टिकरण की तलाश करना ही साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करता है। यदि न्यायिकेतर स्वीकृति का साक्ष्य विश्वसनीय, भरोसेमंद और निस्कलंक है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

(9) अब हम न्यायिकेतर स्वीकृति के बिन्दु पर साक्ष्य का परीक्षण करेंगे।

(10) जगदीश (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) ग्राम पंचायत में पंच थे। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन सुबह लगभग 10 बजे, कोटवार ज्ञानदास (अभियोजन साक्षी क्रमांक-4) उनके घर आए और कहा कि चमरू राम उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि उनके घर में चोर घुस आया है। वह कोटवार, पटेल रामेश्वर प्रसाद, आलम, जय सिंह और कई अन्य ग्रामीणों के साथ चमरू राम के घर गए। चमरू वहां मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि चोर कहाँ है, जिस पर चमरू ने कहा कि चोर घर के अंदर है। उस समय चमरू अपने घर के बाहर थे। इसके बाद, वे सभी घर के अंदर गए। घर में कोई चोर नहीं था, लेकिन चमरू राम की पत्नी सुमित्रा बाई घर के बरामदे में लेटी हुई थी। वह मर चुकी थी। उन्होंने उसकी पीठ पर जलने का निशान देखा। उन्होंने अपीलार्थी से पूछा कि उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, जिस पर उसने बताया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि किसी ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है और भाग गया है। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उसके बाद प्रतिपरिक्षण के पहले ही कण्डिका में उसने स्वीकार किया कि चमरू राम ने उनके सामने न्यायिकेतर स्वीकृति किया था कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है।

(11) ज्ञान दास (अभियोजन साक्षी क्रमांक-4) ग्राम कोटवार है। उसने भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वे अपीलार्थी के घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी घर में मृत पड़ी थी। जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो अपीलार्थी ने उनके सामने न्यायिकेतर स्वीकृति करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। प्रतिपरिक्षण में उसने इस बात से इनकार किया कि अपीलार्थी ने उनके सामने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बचाव पक्ष ने इस गवाह से लंबा प्रतिपरिक्षण किया, लेकिन बचाव पक्ष ऐसी कोई भी बात उजागर नहीं कर पाया जिससे इस गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह हो या यह कहा जा सके कि वह अपीलार्थी को संबंधित अपराध में झूठा फंसा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) न्यायिकेतर स्वीकृति का एक और गवाह विफल (अभियोजन साक्षी क्रमांक-10) है, लेकिन उसने न्यायिकेतर स्वीकृति के बिंदु पर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। उसने केवल यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब

वह अपीलार्थी के घर के अंदर गया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का शव उसके घर में पड़ा था। उसकी छाती, बाँहों और हाथों पर चोटें आई थीं।

(13) रामेश्वर प्रसाद (अभियोजन साक्षी क्रमांक-5) ग्राम पटेल थे। उन्होंने भी न्यायिकेतर स्वीकृति के बिंदु पर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। हालाँकि, उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मृतिका का शव घर के अंदर देखा था और अपीलार्थी ने यह नहीं बताया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई।

(14) निश्चित ही, रामेश्वर प्रसाद (अभियोजन साक्षी क्रमांक-5) और विफल (अभियोजन साक्षी क्रमांक-10) ने न्यायिकेतर स्वीकृति के बिंदु पर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, लेकिन ज्ञान दास (अभियोजन साक्षी क्रमांक-4) और जगदीश सिंह (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) ने इसका पूरा समर्थन किया है। विश्लेषण करने पर, हम पाते हैं कि वास्तव में अपीलार्थी ने घटना की अगली सुबह ही इन गवाहों के समक्ष न्यायिकेतर स्वीकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) सबसे अधिक दोषपूर्ण परिस्थिति यह है कि मृतिका की मृत्यु मानववध्द थी, उसके शरीर पर कई चोटें थीं और मृतका का शव अपीलार्थी के घर के अंदर पाया गया था।

(16) निस्संदेह, किसी आपराधिक मामले में, प्रारंभ में अभियोजन पक्ष को अपराध के तत्वों को स्थापित करना होता है और फिर अभियुक्त पर भार आता है कि वो अभियोजन पक्ष के गवाहों का प्रतिपरीक्षण करके या मृतिका की हत्या कैसे की गई यह दर्शाने के लिए अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके या अपनी बेगुनाही प्रमाणित करके, जैसी स्थिति हो उस अनुसार भार से मुक्त हो जाए। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष अपना दायित्व पूर्ण करने में सफल हुआ था, जबकि अपीलार्थी साक्ष्य अधिनियम के धारा 106 के प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्व पूर्ण नहीं कर पाया। तथा उसके दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 313 के बयान मे भी कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) ***त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2006 एआईआर एससीडब्लू 5300*** में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "....................यदि कोई अपराध घर के एकांत में और ऐसी परिस्थितियों में होता है जहाँ हमलावरों को उस समय और अपनी पसंद की परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करना अत्यंत कठिन होगा यदि न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कठोर सिद्धांत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पर ज़ोर दिया जाता है। एक न्यायाधीश किसी आपराधिक मुकदमे का विचारण केवल यह देखने के लिए नहीं करता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। एक न्यायाधीश की यह भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न पाए। जहाँ हत्या जैसा अपराध घर के अंदर गुप्त रूप से किया जाता है, वहाँ मामले को सिद्ध करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उतनी नहीं हो सकती जितनी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक होती है। यह भार तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान मे रखते हुए, घर के निवासियों पर भी यह भार होगा अपराध कैसे किया गया, इसका ठोस स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिया जाए। घर के लोग केवल चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकते, क्योंकि उनका मानना है कि अपना मामला प्रमाणित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और अभियुक्त का

स्पष्टीकरण देने का कोई दायित्व नहीं है। स्पष्टीकरण न मिलने या गलत स्पष्टीकरण की स्थिति में यह परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगा।"

(18) इसके अतिरिक्त ***राजस्थान राज्य बनाम काशी राम 2006 एआईआर एससीडब्लू 5768*** में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनिर्णीत किया कि:

"क्या धारा 106 के तहत एक अनुमान निकाला जाना चाहिए, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे प्रमाणित तथ्यों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। यह अंततः साक्षियो का विशलेषण करने का मामला है और इसलिए, प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। उत्तरवादी, अभियुक्त को मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे प्रमाणित करने का भार उस पर था, क्योंकि वे तथ्य उसके विशेष ज्ञान में थे। चूंकि उत्तरवादी ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहा। इसलिए, यह परिस्थिति उन परिस्थितियों की श्रृंखला में गायब कड़ी प्रदान करती है जो उचित संदेह से परे उसके अपराध को प्रमाणित करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि:

".......सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान स्वयं स्पष्ट और अखंदित हैं कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को प्रमाणित करने का भार उसी पर होता है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, तो उसे यह स्पष्टीकरण देना होगा कि वह कैसे और कब अलग हुआ। उसे एक ऐसा स्पष्टीकरण देना होगा जो न्यायालय को संभावित और संतोषजनक प्रतीत हो। यदि वह ऐसा करता है तो यह माना जाना चाहिए कि उसने अपना भार निर्वहन कर दिया है। यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में यदि अभियुक्त अपने ऊपर डाले गए भार के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो यह अपने आप में उसके विरुद्ध प्रमाणित परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान करता है। धारा 106 आपराधिक मुकदमे में सबूत का भार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्थानांतरित नहीं करती है, जो हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। यह नियम निर्धारित करता है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में हैं और जो उसकी निर्दोषता के अनुकूल किसी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकते हैं, तो न्यायालय उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण देने में विफलता को एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में मान सकता है जो श्रृंखला को पूरा करती है। ***नैना मोहम्मद एआईआर 1960 मद्रास 218*** में प्रकाशित किए गए मामले में इस सिद्धांत को संक्षेप में बताया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(19) वर्तमान मामले में, सबसे पहले हम यह मानते हैं कि अपीलार्थी ने ज्ञान दास (अभियोजन साक्षी क्रमांक-4) और जगदीश (अभियोजन साक्षी क्रमांक-1) सहित कई ग्रामीणों के समक्ष न्यायिकेतर स्वीकृति के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया है, जिन्हें हमने विश्वसनीय माना है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क पर भरोसा करते हुए भी कि अपीलार्थी ने ग्रामीणों के समक्ष न्यायिकेतर स्वीकृति नहीं की थी, उक्त साक्ष्य को शून्य मानते हुए भी, स्थिति यह होगी कि उसने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मृतिका की उसके घर के अंदर हत्या कैसे हुई। इसलिए, यह अपीलार्थी के विरुद्ध सिद्ध एक दोषपूर्ण परिस्थिति थी।

(20) अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए, हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि ठोस, विश्वसनीय और पुष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।

(21) हमें अपील में कोई सार दिखाई नहीं देता है, और खरिज किये जाने योग्य है इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by - Vidhi Mehta